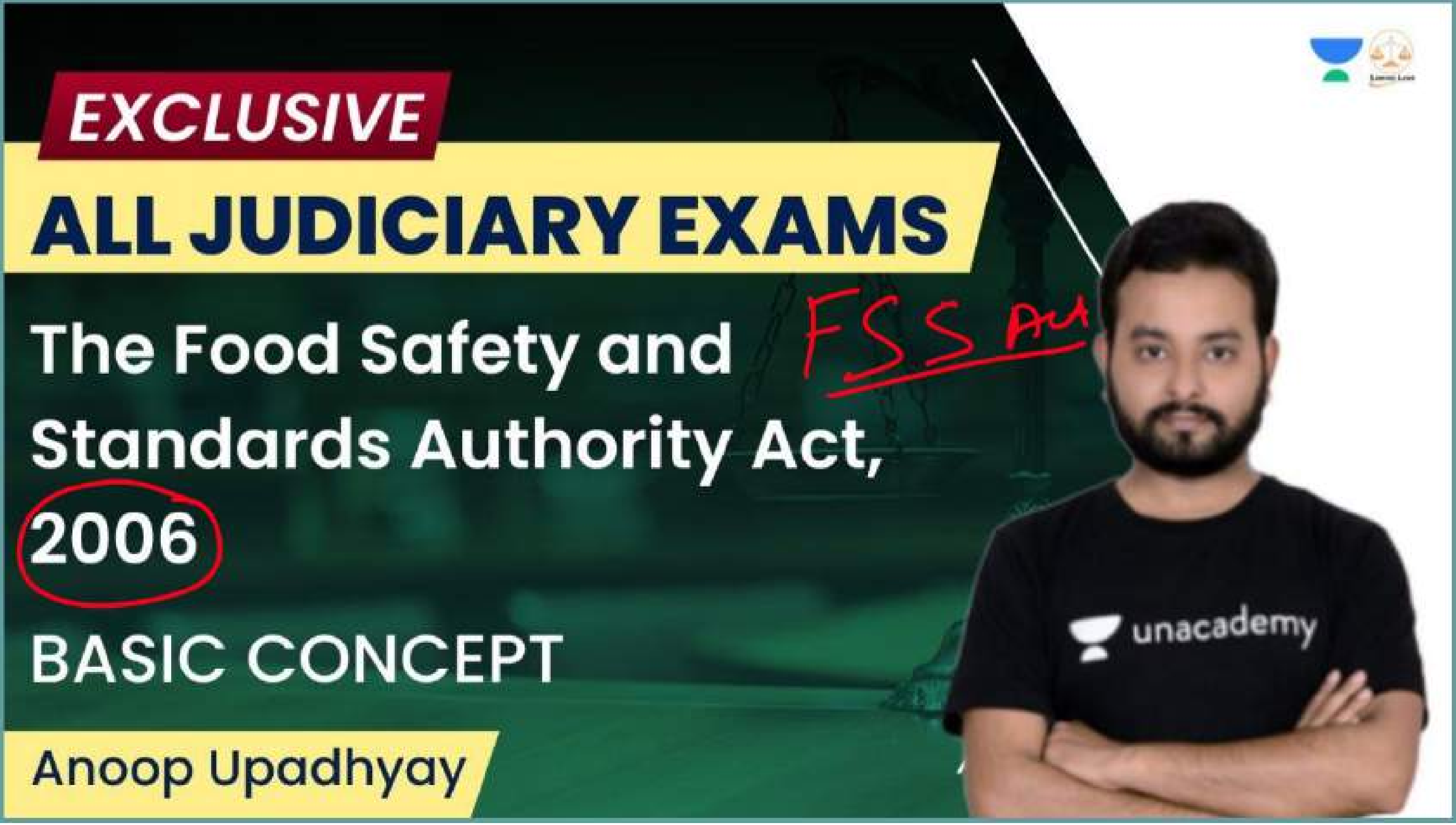
EXCLUSIVE
ALL JUDICIARY EXAMS
The Food Safety and Standards Authority Act, 2006
FSS
BASIC CONCEPT
Anoop Upadhyay
unacademy

Historical Background

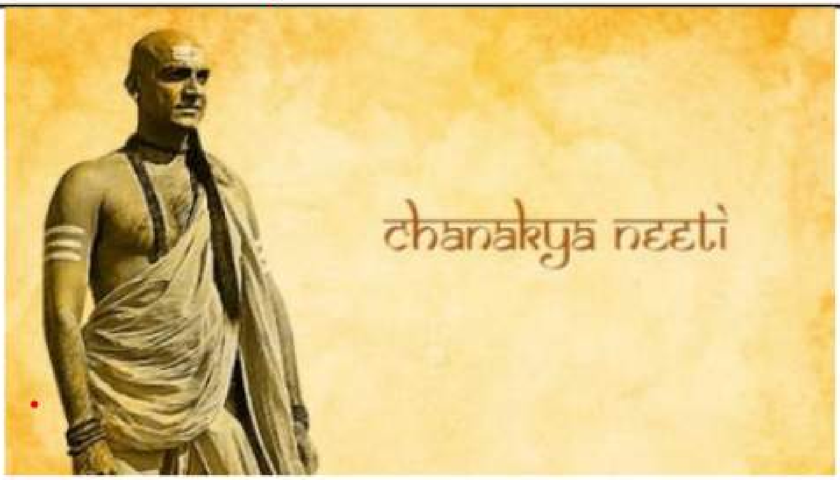

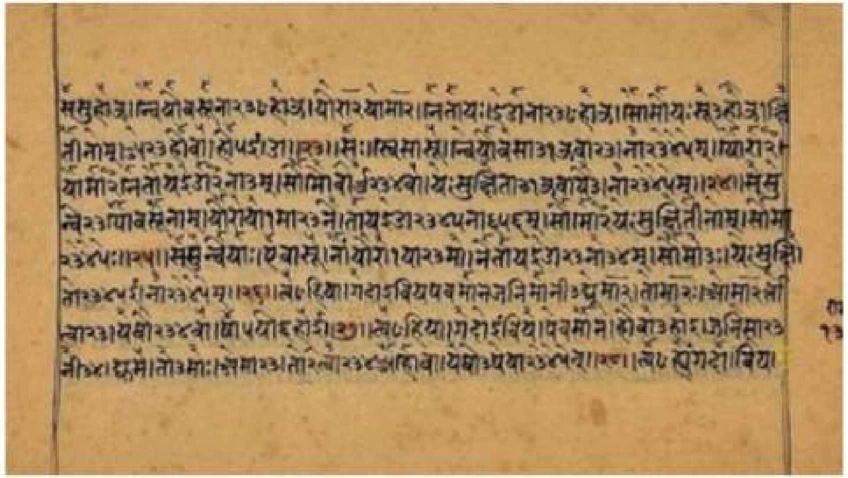

In 375 BC, Chanakya (an Indian teacher, philosopher, and economist) mentioned food adulteration in his book "Arthashastra," whereas the Egyptians have preserved and labeled food thousands of years ago.

375 ईसा पूर्व में, चाणक्य (एक भारतीय शिक्षक, दार्शनिक और अर्थशास्त्री) ने अपनी पुस्तक "अर्थशास्त्र" में खाद्य में मिलावट का उल्लेख किया था, जबकि मिस्रवासियों ने हजारों साल पहले खाद्य को संरक्षित और लेबल किया था।

The Chinese, Greeks, and Romans have also used similar food safety procedures.
चीनी, यूनानियों और रोमनों ने भी इसी तरह की खाद्य सुरक्षा प्रक्रियाओं का उपयोग किया है।

In the early 1900s, / 1900 के दशक की शुरुआत में,

foodborne diseases (e.g., botulism, tuberculosis, typhoid fever, etc.) were at the highest incidence and prevalence, with the highest mortality rates in all over the world.
खाद्य जनित रोग (जैसे, बोटुलिज़्म, तपेदिक, टाइफाइड बुखार, आदि) दुनिया भर में उच्चतम मृत्यु दर के साथ उच्चतम घटना और प्रसार पर थे।

Therefore, in the 19th and 20th centuries, food safety and sanitation legislations were more abundantly adopted.
इसलिए, 19वीं और 20वीं शताब्दी में, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता कानूनों को अधिक बहुतायत से अपनाया गया।

Preceding the enactment of the Food Safety and Standards Act, 2006 (FSS Act) in India, the following food laws, existing prior to it, were repealed and compiled under the roof of the FSS Act.:

भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएस अधिनियम) के अधिनियमन से पहले, निम्नलिखित खाद्य कानून, जो इससे पहले मौजूद थे, को एफएसएस अधिनियम की छत के नीचे निरस्त और संकलित किया गया था:

F.S.S.Act, 2006 Schedule FSS Act

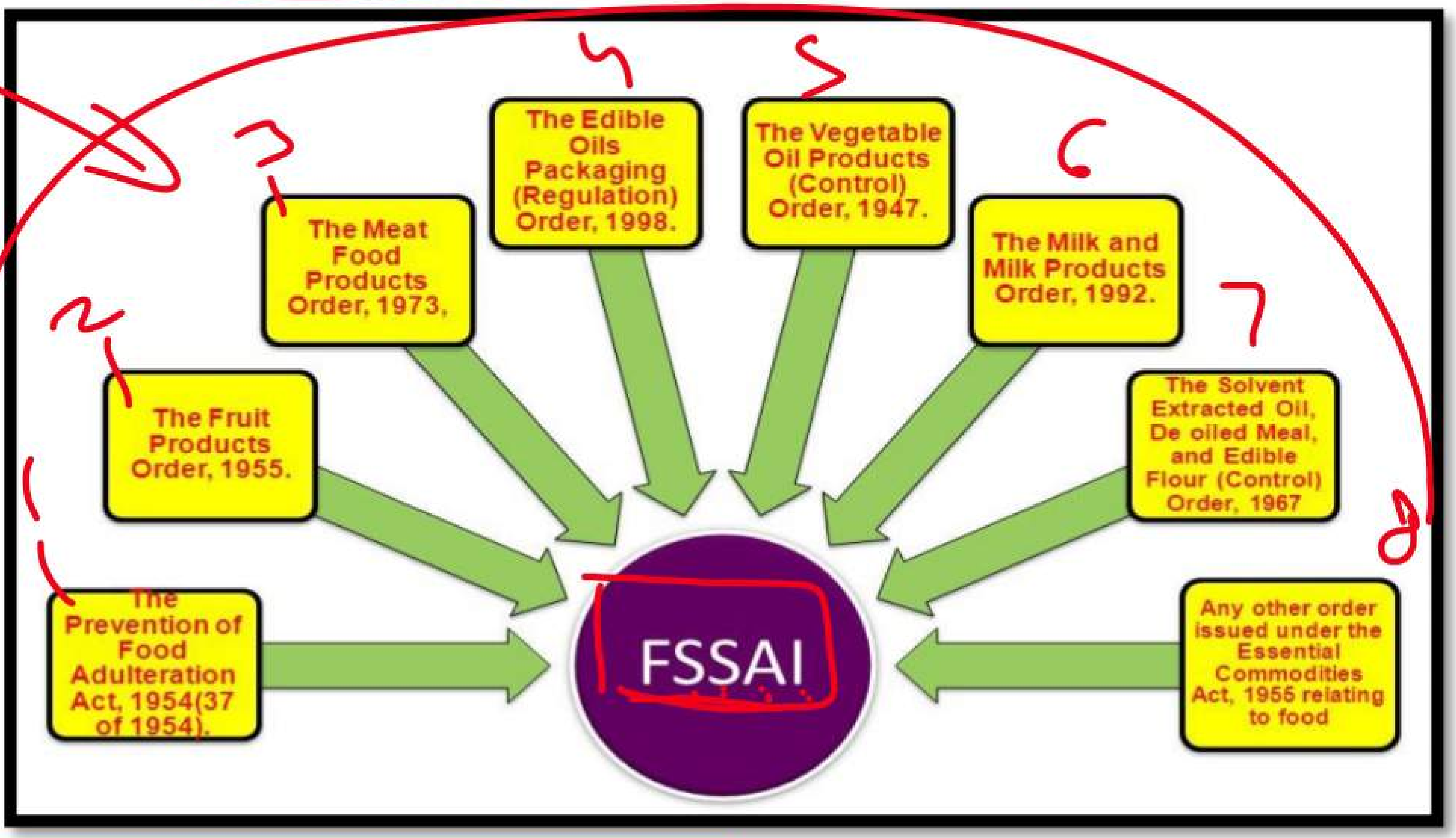

FSS Act, 2006

1. The Vegetable Oil Products (Control) Order, 1947
   वनस्पति तेल उत्पाद (नियंत्रण) आदेश, 1947

2. The Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954)
   खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37)

3. The Fruit Products Order, 1955.
   फल उत्पाद आदेश, 1955

4. Any other order issued under the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955)
   आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के अधीन खाद्य से संबधित जारी किया गया कोई अन्य आदेश।

- The Solvent Extracted Oil, De oiled Meal, and Edible Flour (Control) Order, 1967
  विलायक निष्कर्षित तेल, वितैलित अवचूर्ण और खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967
- The Meat Food Products Order, 1973
  मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973
- The Milk and Milk Products Order, 1992
  दूध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992
- The Edible Oils Packaging (Regulation) Order, 1998.
  खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश, 1998

F.S.S. Act, 2006

[FSSAI]

Object:

- To consolidate the Laws relating to food
  खाद्य से संबंधित कानूनों को मजबूत करने के लिए
- To establish the Food Safety and Standards Authority of India
  भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना के लिए
- Laying down science-based standards for articles of food
  खाद्य की वस्तुओं के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करना
- To regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import of food
  उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और खाद्य के आयात को विनियमित करने के लिए
- To ensure availability of safe and wholesome food for human consumption
  मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्यकी उपलब्धता सुनिश्चित करना

Q.

What kinds of foods are covered under the Food Safety and Standards Act?

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हैं?

The Act basically covers all kinds of food that is consumed by human beings.

इस अधिनियम में मूल रूप से सभी प्रकार के खाद्य को शामिल किया गया है जो मनुष्य द्वारा खाया जाता है।

Most food items including unprocessed/semi-processed/processed foods are covered under this act.

असंसाधित/अर्ध-प्रसंस्कृत/प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों सहित अधिकांश खाद्य पदार्थ इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं।

Linking Laws

- It also includes genetically engineered foods, all kinds of substances and water that is used in the preparation of food.

इसमें आनुवंशिक रूप से इंजीनियर खाद्य पदार्थ, सभी प्रकार के पदार्थ और पानी भी शामिल है जिसका उपयोग खाद्य तैयार करने में किया जाता है।

WATER
जल

- Packaged juices, / डिब्बाबंद जूस,
- drinking water, / पीने का पानी,
- infant food, / शिशु आहार,
- alcohol-based drinks, / शराब आधारित पेय,
- chewing gums, and / च्युइंग गम और

all other primary foods are covered by the FSSAI Act.
अन्य सभी प्राथमिक खाद्य पदार्थ FSSAI अधिनियम द्वारा कवर किए गए हैं।

the Act considers-
live animals or / जीवित जानवरों
products of(उत्पादों) - agriculture, / कृषि,
horticulture or / बागवानी
animal husbandry / पशुपालन
as food only when it has already passed on from the hands of a farmer.

को खाद्य के रूप में तभी मानता है जब यह पहले से ही एक किसान के हाथों से पारित हो चुका हो।

= Farmer (किसान) → FSS Act Apply? Yes / No

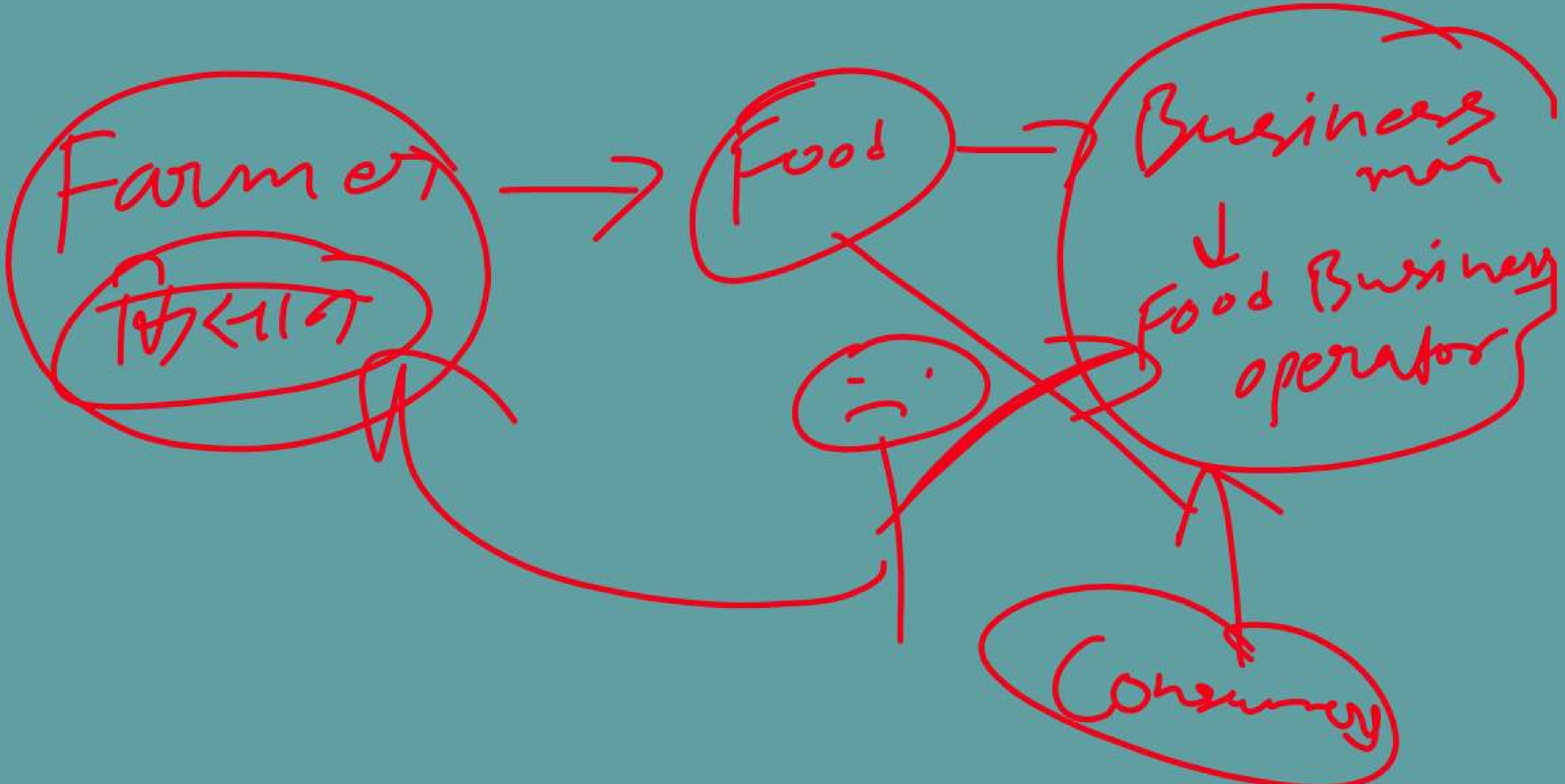

Farmer
किसान
Food
Business man
Food Business operator
Consumer

For whom is the Food Safety and Standards Act applicable?

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम किसके लिए लागू है?

Ans ⇒

This Act is applicable to every person that is in the food business.

यह अधिनियम हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जो खाद्य व्यवसाय में है।

Exception/ अपवाद

The Act is not applicable to farmers even though they are producers of food.

यह अधिनियम किसानों पर लागू नहीं है, भले ही वे खाद्य उत्पादक हैं।

Agricultural produce, animal husbandry, etc. are not covered directly under the scope of this Act and thus excludes farmers.

कृषि उत्पाद, पशुपालन आदि सीधे इस अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं और इस प्रकार किसानों को बाहर कर देते हैं।

The Act comes into play only when the product leaves the hands of the farmers and reaches the next person.

अधिनियम तभी लागू होता है जब उत्पाद किसानों के हाथ से निकलकर अगले व्यक्ति तक पहुंच जाता है।

Food Saftey & Standards Act

- Indian Constitution, 1950 (भारतीय संविधान, 1950)
- Indian Penal Code, 1860 (भारतीय दंड संहिता, 1860)
- Legal Metrology Act, 2009 (लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009)
- The Insecticides Act, 1968 (कीटनाशक अधिनियम, 1968)
- The Environment Protection Act, 1986 (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986)
- Export (Quality Control and Inspection) Amendment Act, 1984 (निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन अधिनियम, 1984)
- Consumer Protection Act, 2019 (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019)

Article 21 of the Indian Constitution, 1950

भारतीय संविधान, 1950 का अनुच्छेद 21

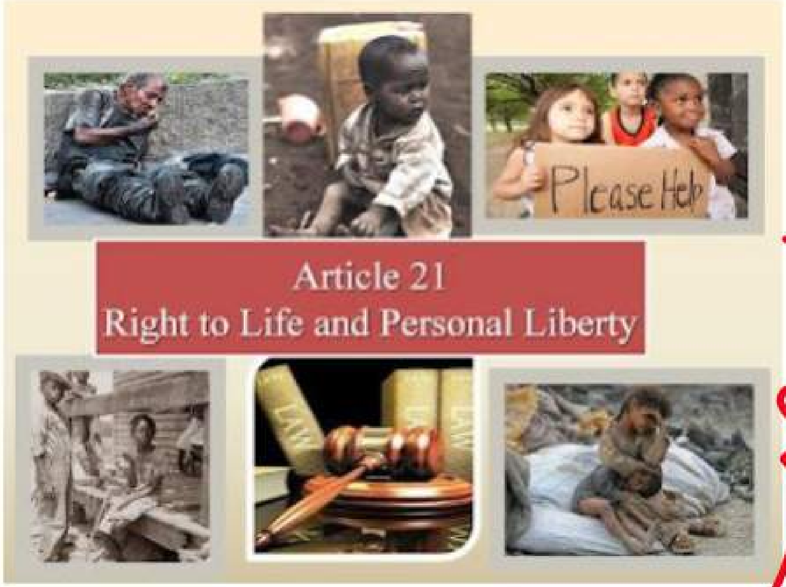

Provides every citizen for the right to healthy and safe food.

प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ और सुरक्षित भोजन का अधिकार प्रदान करता है।

Dealing in any food article that is is considered dangerous to human life is a violation of Article 21 read with Article 47 of the India Constitution.

मानव जीवन के लिए खतरनाक मानी जाने वाली किसी भी खाद्य वस्तु में व्यवहार करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

Hence, the states are under the constitutional obligation to safeguards the right to food and also implement the laws to regulate the food policies in India.

इसलिए, राज्यों का संवैधानिक दायित्व है कि वे भोजन के अधिकार की रक्षा करें और भारत में खाद्य नीतियों को विनियमित करने के लिए कानूनों को लागू करें।

PEOPLE'S UNION FOR CIVIL LIBERTIES
VS
UNION OF INDIA & ORS.

AIR 1997 SC 568

Bench: Kuldip Singh, J., S.S. Ahmad, J.

In the year 2001, the Supreme Court delivered a landmark judgment which catered to the issue of “hunger amidst plenty” in India.

A writ petition was filed by the People’s Union of Civil Liberties (PUCL) with the concern of death due to starvation despite abundant availability of food in stock.

पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा स्टॉक में खाद्य की प्रचुर उपलब्धता के बावजूद भूख से मौत की चिंता के साथ एक रिट याचिका दायर की गई थी।

It also stressed on enforcement of “Right to Food” as a part of Right of Life which is guaranteed under Funfamental Rights of the Indian Constitution.

इसने जीवन के अधिकार के एक भाग के रूप में "खाद्य के अधिकार" को लागू करने पर भी जोर दिया, जिसे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत गारंटी दी गई है।

The Court, in this case, directed several actions ensuring access to food by all thereby uphodling the right to food as a fundamental right.

कोर्ट ने इस मामले में, खाद्यके अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप मे कायम रखते हुए सभी के लिए खाद्यतक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई कार्रवाइयां करने का निर्देश दिया।

Indian Penal Code, 1860:/ भारतीय दंड संहिता, 1860:

Section 272 and 273 of IPC deals with Food Adulteration.
IPC की धारा 272 और 273 खाद्य अपमिश्रण से संबंधित है।

This section states, "Whoever adulterates any article of food or drink, to make such article noxious as food or drink,
इस धारा में कहा गया है, "जो कोई भी खाने-पीने की किसी भी वस्तु में मिलावट करता है,

intending to sell such article as food or drink, or knowing it to be likely that the same will be sold as food or drink,
ऐसी वस्तु को खाने-पीने के लिए हानिकारक बनाने के लिए, ऐसी वस्तु को खाने-पीने की वस्तु के रूप में बेचने का इरादा रखता है,

shall be punished- imprisonment Max 6 months,
or
fine – Max 1000 Rs
or
both.

" However, under the FSS Act, the penalty for selling misbranded or sub-standard food at present is between Rs. 3,00,000 to Rs.5,00,000.

Where as, the punishment for unsafe food that resulting in death is life imprisonment and a fine of Rs. 10,00,000

Offence & Penalty

Unsafe food → death

Legal Metrology Act, 2009: / लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009:

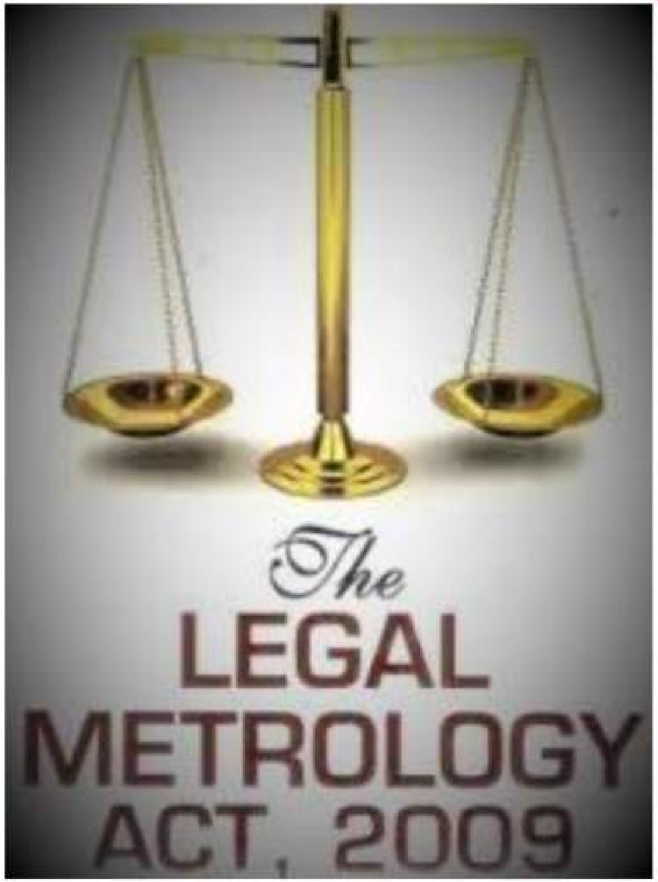

1. The Act is enacted to enforce the standards of weights and measures, to regulate trade and commerce in weights, measures and other goods which are sold or distributed by weights, measures and number.

बाट और माप के मानकों को लागू करने, बाट, माप और अन्य सामानों में व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने के लिए अधिनियम बनाया गया है, जो बाट, माप और संख्या द्वारा बेचा या वितरित किया जाता है।

2. The legal framework of the act also focuses on ensuring public guarantee from the security and accuracy of weights and measurements.

अधिनियम का कानूनी ढांचा वजन और माप की सुरक्षा और सटीकता से सार्वजनिक गारंटी सुनिश्चित करने पर भी केंद्रित है।

The Insecticides Act, 1968 / कीटनाशक अधिनियम, 1968

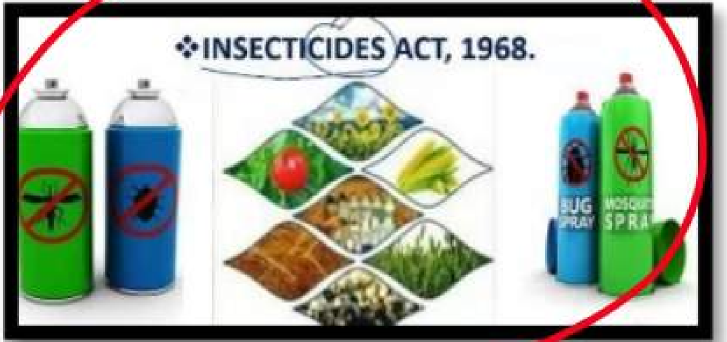

The Act was enacted to regulate the import, manufacture, sale, transport, distribution and use of insecticides and to prevent risk to human beings.
यह अधिनियम कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को विनियमित करने और मानव के लिए जोखिम को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था।

This Act has been specifically enacted to ensure availability of quality, safe and efficacious pesticides to the agricultural community of India.
यह अधिनि यम विशेष रूप से भारत के कृषि समुदाय के लिए गुणवत्ता, सुरक्षित और प्रभावोत्पादक कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

It governs the quality and permissible amount of pesticides which can be used in agriculture.

यह कीटनाशकों की गुणवत्ता और अनुमेय मात्रा को नियंत्रित करता है जिनका उपयोग कृषि में किया जा सकता है।

The Environment Protection Act, 1986

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

The Act also incorporated the rules for the manufacture, use, import and storage of hazardous microorganism, substances and cells used as foodstuff.

अधिनियम में खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग किए जाने वाले खतरनाक सूक्ष्मजीवों, पदार्थों और कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात और भंडारण के नियम भी शामिल थे।

Export (Quality Control and Inspection) Amendment Act, 1984

निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन अधिनियम, 1984

Linking Laws

Consumer Protection Act, 2019

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

The Act is also important for the food business operators as they need to be aware of the rights of its consumers

यह अधिनियम खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें इसके उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है

6 Right — Consumer

food Safety & Standards

Basic Concept:

1. Historical Background
2. Object.
3. Application of FSS Act
4. Linking of FSS Act with different laws.

Linking Laws

FOOD SAFETY AND STANDARDS ACT, 2006
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006

- **Ch. – 1**
  Preliminary
  (प्रारम्भिक)
  [Sec. 1-3]

- **Ch. – 2**
  FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
  (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006)
  [Sec. 4-17]

- **Ch. – 3**
  General principles of Food Safety
  (खाद्य सुरक्षा के साधारण सिद्धांत)
  [Sec. 18]

- **Ch. – 4**
  General provisions as to articles of food
  (खाद्य पदार्थों के बारें में साधारण उपबंध)
  [Sec. 19-24]

- **Ch. – 5**
  Provisions Relating to Import
  (आयात से संबंधित उपबंध)
  [Sec. 25]

- **Ch. – 6**
  Special Responsibilities as to food Safety
  (खाद्य सुरक्षा के संबंध में विशेष दायित्व)
  [Sec. 26-28]

Ch. – 7	Ch. – 8	Ch. – 9	Ch. – 10	Ch. – 11	Ch. – 12
Enforcement of The Act (अधिनियम का प्रवर्तन)	Analysis of Food (खाद्य विश्लेषण)	Offences and Penalties (अपराध और शास्तियाँ)	Adjudication and Food Safety Appellate Tribunal (न्यायनिर्णयन और खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण)	Finance, Accounts, Audit and Reports (वित्त, लेखा, लेखापरीक्षा और रिपोर्टें)	Misc (प्रकीर्ण)
[Sec. 29-42]	[Sec. 43-47]	[Sec. 48-67]	[Sec. 68-80]	[Sec. 81-84]	[Sec. 85-101]

PRELIMINARY / प्रारंभिक

1. Short title, extent and commencement (संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ): -

(1) This Act may be called the Food Safety and Standards Act, 2006.
इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 है।

(2) It extends to the whole of India.
इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

LINKING LAWS

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification inthe Official Gazette, appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this Act

यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, और इस अधिनियम के भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी

Assent of President (राष्ट्रपति)

23rd Aug. 2006

Commencement (लागू)

↓ → 24 Aug. 2006

Different date

C.G. = Extraordinary

↓

Not → O.G.

2. **Declaration as to expediency of control by the Union (नियंत्रण की समीचीनता के संबंध में संघ द्वारा घोषणा) —**

It is hereby declared that it is expedient in the public interest that the Union should take under its control the food industry.

यह घोषणा की जाती है कि लोकहित में यह समीचीन है कि संघ को खाद्य उद्योग को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए।

3. Definitions (परिभाषाएं) —

(1) In this Act, unless the context otherwise requires, –

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(a) "adulterant" means any material which is or could be employed for making the food unsafe or sub-standard or mis-branded or containing extraneous matter;

"अपद्रव्य" से ऐसी कोई सामग्री अभिप्रेत है, जिसका उपयोग खाद्य को असुरक्षित या अवमानक या मिथ्या छाप वाला बनाने के लिए किया जाता है या किया जा सकता है या जिसमें बाह्य पदार्थ अंतर्विष्ट हैं;

(b) "advertisement" means any audio or visual publicity, representation or pronouncement made by means of any light, sound, smoke, gas, print, electronic media, internet or website and includes through any notice, circular, label, wrapper, invoice or other documents;

"विज्ञापन" से कोई श्रव्य या दृश्य प्रचार, किसी प्रकाश, ध्वनि, धुएं, गैस, मुद्रण, इलैक्ट्रानिक मीडिया, इंटरनेट या वैब साईट द्वारा किया गया रूपण या उद्घोषणा अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत किसी सूचना, परिपत्र, लेबल, लपेटन, बीजक या अन्य दस्तावेजों के माध्यम से प्रचार भी है;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Food Authority;

"अध्यक्ष" से खाद्य प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(d) "claim" means any representation which states, suggests, or implies that a food has particular qualities relating to its origin, nutritional properties, nature, processing, composition or otherwise;

"दावे" से ऐसा कोई अभ्यावेदन अभिप्रेत है, जिसमें यह कथन, सुझाव या विवक्षा की जाती है कि किसी खाद्य में उसके उद्भव, पोषक तत्व, प्रकृति, प्रसंस्करण, सम्मिश्रण या अन्यथा से संबंधित विशिष्ट क्वालिटियां हैं;

(e) "Commissioner of Food Safety" means the Commissioner of Food Safety appointed under section 30;

"खाद्य सुरक्षा आयुक्त" से धारा 30 के अधीन नियुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त अभिप्रेत है;

(f) "consumer" means persons and families purchasing and receiving food in order to meet their personal needs;

"उपभोक्ता से ऐसे व्यक्ति और कुटुम्ब अभिप्रेत हैं जो अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य क्रय करते हैं या प्राप्त करते हैं;

(g) "contaminant" means any substance, whether or not added to food, but which is present in such food as a result of the production (including operations carried out in crop husbandry, animal husbandry or veterinary medicine), manufacture, processing, preparation, treatment, packing, packaging, transport or holding of such food or as a result of environmental contamination

"संदूषक" से ऐसा कोई पदार्थ अभिप्रेत है, चाहे वह खाद्य में मिलाया गया हो या नहीं किन्तु वह ऐसे खाद्य में ऐसे खाद्य के उत्पादन (जिसके अन्तर्गत कृषि कर्म, पशुपालन या पशु चिकित्सा औषधि में की गई संक्रियाएं भी हैं), विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण, उपचार, पैकिंग, पैकेजिंग, परिवहन या धारण करने के परिणामस्वरूप या पर्यावरणीय संदूषण के परिणामस्वरूप विद्यमान है

and does not include insect fragments, rodent hairs and other extraneous matter;

और इसके अन्तर्गत कीट अवशेष, कृतंक रोम और अन्य बाह्य पदार्थ नहीं हैं:

(h) **"Designated Officer"** means the officer appointed under section 36;
"अभिहित अधिकारी" से धारा के 36 अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(i) **"extraneous matter"** means any matter contained in an article of food which may be carried from the raw materials, packaging materials or process systems used for its m anufacture or which is added to it,
"बाह्य पदार्थ" से किसी खाद्य पदार्थ में अंतर्विष्ट कोई पदार्थ अभिप्रेत है, जो उसके विनिर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री, पैकेजिंग सामग्री या प्रसंस्करण प्रणाली से आ सकता है या इसमें मिलाया जाता है,

(ii) but such matter does not render such article of food unsafe;
किन्तु ऐसा पदार्थ ऐसे खाद्य पदार्थ को असुरक्षित नहीं बनाता है;

(j) "Food" means any substance, whether processed, partially processed or unprocessed, which is intended for human consumption

"खाद्य" से ऐसा कोई पदार्थ अभिप्रेत है, चाहे वह प्रसंस्कृत है, या आंशिक रूप से प्रसंस्कृत है या अप्रसंस्कृत है, जो मानव उपभोग के लिए आशयित है

and includes primary food to the extent defined in clause (zk),

और जिसके अन्तर्गत खंड (यट) में परिभाषित सीमा तक प्राथमिक खाद्य,

genetically modified or engineered food or

आनुवंशिक रूप से उपांतरित या निर्मित खाद्य या

food containing such ingredients, infant food, packaged drinking water, alcoholic drink, chewing gum, and any substance,

ऐसे संघटकों से युक्त खाद्य, शिशु खाद्य, पैक किया गया पीने का जल, अल्कोहाली पेय, चिविंगम, तथा कोई अन्य पदार्थ हैं,

including water used into the food during its manufacture, preparation or treatment

जिसके अन्तर्गत खाद्य के विनिर्माण, निर्माण या उपचार के दौरान प्रयुक्त किया गया जल भी है,

but does not include any animal feed, live animals unless they are prepared or processed for placing on the market for human consumption,

किन्तु इसके अंतर्गत कोई पशु खाद्य, जीवित पशु तब तक, जब तक कि उन्हें मानव उपभोग के लिए बाजार में लाने हेतु तैयार या प्रसंस्कृत नहीं किया जाता,

plants, prior to harvesting, drugs and medicinal products, cosmetics, narcotic or psychotropic substances:

कटाई से पूर्व पौधे, औषधि और औषधीय उत्पाद, प्रसाधन सामग्री, स्वापक या मन:प्रभावी पदार्थ नहीं हैं :

Provided that the Central Government may declare, by notification in the Official Gazette, any other article as food for the purposes of this Act having regards to its use, nature, substance or quality

परन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी अन्य वस्तु को, उसके उपयोग, प्रकृति, सार या क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए खाद्य घोषित कर सकेगी;

(k) "food additive" means any substance not normally consumed as a food by itself or used as a typical ingredient of the food,

"खाद्य योज्यक" से ऐसा कोई पदार्थ अभिप्रेत है, जिसका सामान्यत: स्वयं किसी खाद्य के रूप में उपभोग नहीं किया जाता है या जिसे खाद्य के विशिष्ट संघटक के रूप में उपयोग में लाया जाता है

whether or not it has nutritive value,
चाहे उसका पोषक मूल्य है या नहीं

the intentional addition of which to food for a technological (including organoleptic) purpose in the manufacture, processing, preparation, treatment, packing, packaging, transport or holding of such food results, or may be reasonably expected to result (directly or indirectly), in it

ऐसे खाद्य के विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण, उपचार, पैकिंग, पैकेजिंग, परिवहन या धारण करने में प्रौद्योगिक (जिसके अन्तर्गत आर्गेनोलैप्टिक भी है) प्रयोजन के लिए खाद्य में जिसके साशय मिश्रण के परिणामस्वरूप प्रत्यक्षत: या परोक्षत: या युक्तियुक्त रूप से निर्माण की संभावना है

or its by-products becoming a component of or otherwise affecting the characteristics of such food

या जिसका उपोत्पाद ऐसे खाद्य का संघटक बन जाता है, उसका निर्माण होता है या ऐसे खाद्य की विशेषताओं को अन्यथा प्रभावित करता है

V.imp.

but does not include "contaminants" or substances added to food for maintaining or improving nutritional qualities;

किन्तु इसके अन्तर्गत खाद्य में पोषक क्वालिटियों को बनाए रखने या उनमें सुधार करने के लिए मिलाए गए "संदूषक' या पदार्थ सम्मिलित नहीं हैं;

(l) **"Food Analyst"** means an analyst appointed under section45;

"खाद्य विश्लेषक से धारा 45 के अधीन नियुक्त विश्लेषक अभिप्रेत है;

(m) **"Food Authority"** means the Food Safety and Standards Authority of India established under section 4;

"खाद्य प्राधिकरण" से धारा 4 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

FSSAI

Linking Laws Anoop Sir

(n) "**Food business**" means any undertaking, whether for profit or not and whether public or private, carrying out any of the activities related to any stage of manufacture, processing, packaging, storage, transportation, distribution of food, import and includes food services, catering services, sale of food or food ingredients;

"खाद्य कारबार" से ऐसा कोई उपक्रम अभिप्रेत है, चाहे वह लाभ के लिए है या नहीं और चाहे वह सार्वजानिक है या प्राइवेट, जो खाद्य के विनिर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण, आयात के किसी प्रक्रम से संबंधित क्रियाकलापों में से कोई क्रियाकलाप कर रहा है और इसके अन्तर्गत खाद्य सेवाएं, जलपान सेवाएं, खाद्य या खाद्य संघटकों का विक्रय भी है;

(o) "food business operator" in relation to food business means a person by whom the business is carried on or owned and is responsible for ensuring the compliance of this Act, rules and regulations made thereunder;

खाद्य कारबार के संबंध में, "खाद्य कारबार कर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कारबार किया जाता है या जिसका वह स्वामी है तथा इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है;

(p) **"food laboratory"** means any food laboratory or institute established by the Central or a State Government or any other agency and accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or an equivalent accreditation agency and recognised by the Food Authority under section 43;

"खाद्य प्रयोगशाला" से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य अभिकरण द्वारा स्थापित कोई खाद्य प्रयोगशाला या संस्थान अभिप्रेत है और जो परीक्षण और मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड या किसी समतुल्य प्रत्यायन अभिकरण द्वारा प्रत्यायित है तथा धारा 43 के अधीन खाद्य प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त है;

(q) **"food safety"** means assurance that food is acceptable for human consumption according to its intended use;

"खाद्य सुरक्षा" से यह आश्वासन अभिप्रेत है कि खाद्य उसके आशयित उपयोग के अनुसार मानव उपभोग के लिए स्वीकार्य है;

(r) **"food safety audit"** means a systematic and functionally independent examination of food safety measures adopted by manufacturing units to determine whether such measures and related results meet with objectives of food safety and the claims made in that behalf;

"खाद्य सुरक्षा संपरीक्षा" से यह अवधारित करने के लिए कि क्या ऐसे उपाय और संबंधित परिणाम खाद्य सुरक्षा और उस निमित्त किए गए दावों के उद्देश्यों को पूरा करते हैं विनिर्माण इकाइयों द्वारा अपनाए गए खाद्य सुरक्षा उपायों की क्रमबद्ध और क्रियात्मक रूप से स्वंतत्र जांच अभिप्रेत है;

(s) **"Food Safety Management System"** means the adoption Good Manufacturing Practices, Good Hygienic Practices, Hazard Analysis and Critical Control Point and such other practices as may be specified by regulation, for the food business;

"खाद्य सुरक्षा प्रबन्ध प्रणाली" से अच्छी विनिर्माण पद्धतियों, अच्छी स्वास्थ्यकर पद्धतियों, परिसंकट विश्लेषण और संकटकालीन नियंत्रण केन्द्र तथा अन्य ऐसी पद्धतियों, जो खाद्य कारबार के लिए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, का अपनाया जाना अभिप्रेत है;

(t) **"Food Safety Officer"** means an officer appointed under section 37;

"खाद्य सुरक्षा अधिकारी" से धारा 37 के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(u) **"hazard"** means a biological, chemical or physical agent in, or condition of, food with the potential to cause an adverse health effect

"परिसंकट" से खाद्य में ऐसा कोई जैविक, रासायनिक या भौतिक कारक या खाद्य की अवस्था अभिप्रेत है, जो प्रभावी रूप से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव कारित करता है;

(v) **"import"** means bringing into India any article of food by land, sea or air;

"आयात" से किसी खाद्य पदार्थ को भारत में भूमि, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा लाना अभिप्रेत है;

(w) **"improvement notice"** means a notice issued under section 32 of this Act;

"सुधार सूचना से इस अधिनियम की धारा 32 के अधीन जारी की गई सूचना अभिप्रेत है;

(x) **"infant food"** and **"infant milk substitute"** shall have the meanings assigned to them in clauses (f) and (g) of subsection (l) of section 2 of the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992(41 of 1992), respectively;

"शिशु-खाद्य" और "शिशु दुग्ध अनुकल्प" के वही अर्थ हैं, जो उनके शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु-खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 41) की धारा 2 की उपधारा (1) के क्रमश: खण्ड (च) और खण्ड (छ) में हैं;

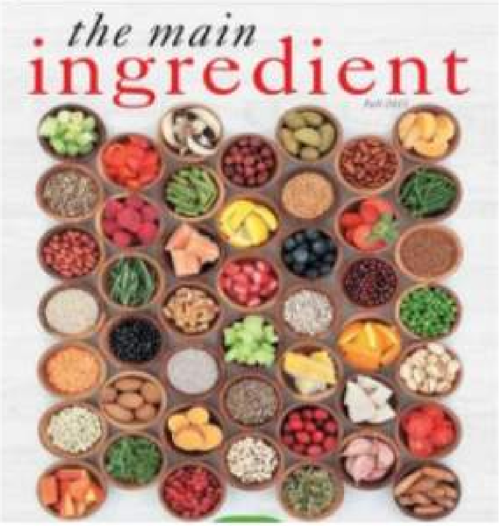

(y) **"ingredient"** means any substance, including a food additive used in the manufacture or preparation of food and present in the final product, possibly in a modified form;

"संघटक" से कोई पदार्थ अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत खाद्य के विनिर्माण या निर्मिति में प्रयुक्त कोई खाद्य योज्यक भी है और जो अन्तिम उत्पाद में, संभवत: उपान्तरित रूप में, विद्यमान हैं;

(z) **"label"** means any tag, brand, mark, pictorial or other descriptive matter, written, printed, stencilled, marked, embossed, graphic, perforated, stamped or impressed on or attached to container, cover, lid or crown of any food package and includes a product insert;

"लेबल" से अभिप्रेत है किसी खाद्य पैकेज के आधान, कवर, डाट या ढक्कन पर लगा कोई टैग, ब्रांड, चिह्न, चित्रित या अन्य वर्णित सामग्री जो लिखित, मुद्रित, स्टैंसिलीकृत, चिन्हित, उत्कीर्णित, ग्राफिक, छिद्रित, स्टांपीकृत या छपी है और इसके अंतर्गत अंत: स्थापित उत्पाद भी है;

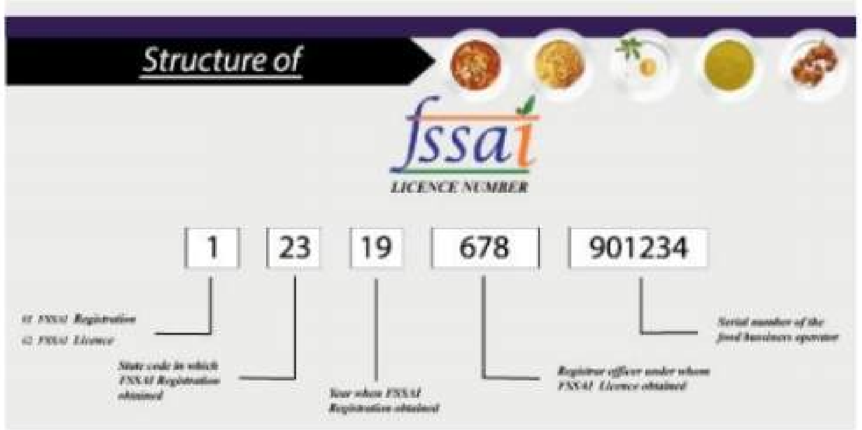

(za) **"licence"** means a licence granted under section 31;

"अनुज्ञप्ति" से धारा 31 के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(zb) **"local area"** means any area, whether urban or rural, notified by the Commissioner of Food Safety, to be a local area for the purposes of this Act;

"स्थानीय क्षेत्र" से ऐसा कोई नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए स्थानीय क्षेत्र के रूप में खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है;

(zc) **"manufacture"** means a process or adoption or any treatment for conversion of ingredients into an article of food, which includes any sub-process, incidental or ancillary to the manufacture of an article of food;

"विनिर्माण" से संघटकों के किसी खाद्य पदार्थ में संपरिवर्तन के लिए कोई प्रक्रिया या अंगीकरण या कोई उपचार अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण की कोई आनुषंगिक या प्रासंगिक उप प्रक्रिया भी है;

(zd) **"manufacturer"** means a person engaged in the business of manufacturing any article of food for sale and includes any person who obtains such article from another person and packs and labels it for sale or only labels it for such purposes

"विनिर्माता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो विक्रय के लिए किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण के कारबार में लगा है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जो विक्रय के लिए ऐसे खाद्य को, किसी अन्य व्यक्ति से अभिप्राप्त करता है और पैक करता है तथा उस पर लेबल लगाता है या ऐसे प्रयोजनों के लिए केवल लेबल लगाता है;

(ze) **"Member"** means Member of the Food Authority and includes the Chairperson
"सदस्य" के अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण का कोई अंशकालिक सदस्य और अध्यक्ष भी है।

(zf) **"misbranded food"** means an article of food –
"मिथ्या छाप वाला खाद्य" से कोई खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है

(A) if it is purported, or is represented to be, or is being –
(i) offered or promoted for sale with false, misleading or deceptive claims either;
(a) upon the label of the package, or / पैकेज के लेबल के ऊपर; या
(b) through advertisement, or / विज्ञापन के द्वारा,

(ii) sold by a name which belongs to another article of food; or
ऐसे नाम से, जो किसी अन्य खाद्य पदार्थ का है, विक्रय किए जाने; या

(iii) offered or promoted for sale under the name of a fictitious individual or company as the manufacturer or producer of the article as borne on the package or containing the article or the label on such package; or
पदार्थ के विनिर्माता या उत्पादक के रूप में किसी कल्पित व्यष्टि या कम्पनी के नाम से जो पदार्थ वाले पैकेज पर लिखा है या पैकेज पर लेबल लगा है, विक्रय के लिए प्रस्थापित या संवर्धित करने के लिए तात्पर्यित है या प्रस्तुत किया जाता है या प्रस्थापित या संवर्धित किया जा रहा है।

(B) if the article is sold in packages which have been sealed or prepared by or at the instance of the manufacturer or producer bearing his name and address but –

यदि पदार्थ ऐसे पैकेजों में विक्रय किया जाता है जो विनिर्माता या उत्पादक के द्वारा या उसके कहने पर मोहरबंद या तैयार किए गए हैं और जिन पर उसका नाम और पता है किन्तु

(i) the article is an imitation of, or is a substitute for, or resembles in a manner likely to deceive, another article of food under the name of which it is sold, and is not plainly and conspicuously labelled so as to indicate its true character; or

बह किसी अन्य खाद्य पदार्थ की, जिसके नाम से उसका विक्रय किया जाता है, नकल है, या उसके स्थान पर प्रतिस्थापित है या उससे इस प्रकार मिलता-जुलता है कि धोखा हो जाए और उस पर उसका असली रूप उपदर्शित करने के लिए स्पष्ट और सहज दृश्य रूप से लेबल नहीं लगाया गया है; या

(ii) the package containing the article or the label on the package bears any statement, design or device regarding the ingredients or the substances contained therein, which is false or misleading in any material particular, or if the package is otherwise deceptive with respect to its contents; or

पदार्थ वाले पैकेज या पैकेज पर लेबल में उसमें अन्तर्विष्ट संघटकों या तत्त्वों के बारे में कोई ऐसा कथन, डिजाइन या अभिलक्षण है जो किसी सारवान् विशिष्टि में मिथ्या या भुलावा देने वाली है, या यदि पैकेज अपनी अन्तर्वस्तुओं के बारे में अन्यथा धोखा देने वाला है।

(iii) the article is offered for sale as the product of any place or country which is false; or

किसी स्थान या देश के उत्पाद के रूप में जिस पदार्थ की विक्रय के लिए प्रस्थापना की गई है, वह मिथ्या है; या

(C) if the article contained in the package –
यदि पैकेज में अन्तर्विष्ट पदार्थ...

(i) contains any artificial flavouring, colouring or chemical preservative and the package is without a declaratory label stating that fact or is not labelled in accordance with the requirements of this Act or regulations made thereunder or is in contravention thereof; or
कोई कृत्रिम सुरुचिकारक, कृत्रिम रंजक या रासायनिक परिरक्षी से युक्त है और पैकेज पर उस तथ्य का कथन वाला घोषणात्मक लेबल नहीं लगा है या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उस पर लेबल नहीं लगाया गया है या उसके उल्लंघन में है; या

(ii) is offered for sale for special dietary uses, unless its label bears such information as may be specified by regulation, concerning its vitamins, minerals or other dietary properties in order sufficiently to inform its purchaser as to its value for such use; or

विशेष आहार उपयोगों के लिए विक्रय के लिए प्रस्थापित किया गया है जब तक कि उसके लेबल पर, उसके विटामिन, खनिज या अन्य आहार तत्वों के बारे में ऐसी जानकारी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे उपयोग के लिए उसके गुणों के बारे में उसके नेता को पर्याप्त रूप से सूचित करने के लिए उसके लेबल में नहीं दी गई है; या

(iii) is not conspicuously or correctly stated on the outside thereof within the limits of variability laid down under this Act.

उसके बाहर उसके बारे में सहजदृश्य रूप से या सही रूप से कथित नहीं है कि वह इस अधिनियम के अधीन अधिकथित परिवर्तिता की सीमाओं के भीतर हैं;

(zg) "**notification**" means a notification published in the Official Gazette;

"अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(zh) "**package**" means a pre-packed box, bottle, casket, tin, barrel, case, pouch, receptacle, sack, bag, wrapper or such other things in which an article of food is packed;

"पैकेज" से ऐसा पूर्व पैक बाक्स, बोतल, संदूकची, टिन, बैरल, डिब्बा, पाऊच, पात्र, बोरी, थैला, रैपर या ऐसी कोई अन्य चीज अभिप्रेत है, जिसमें खाद्य पदार्थ पैक किया जाता है;

(zi) "**premises**" include any shop, stall, hotel, restaurant, airline services and food canteens, place or vehicle or vessel where any article of food is sold or manufactured or stored for sale;

"परिसर" के अन्तर्गत कोई ऐसी दुकान, स्टाल, होटल, रेस्तरां, एयरलाइन सेवाएं और खाद्य कैंटीनें, स्थान या यान या जलयान भी हैं, जहां कोई खाद्य पदार्थ विक्रय किया जाता है या विक्रय के लिए विनिर्मित किया जाता है या भण्डार में रखा जाता है;

(zj) "**prescribed**" means prescribed by rules made by the Central Government or the State Government, as the case may be under this Act;

"विहित" से इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(zk) **"primary food"** means an article of food, being a produce of agriculture or horticulture or animal husbandry and dairying or aquaculture in its natural form, resulting from the growing, raising, cultivation, picking, harvesting, collection or catching in the hands of a person other than a farmer or fisherman;

"प्राथमिक खाद्य" से ऐसा खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है जो कृषि, या बागवानी या पशुपालन और डेयरी या जल-कृषि के अपने प्राकृतिक रूप में उत्पाद है, जो कृषक या मछुआरे से भिन्न व्यक्ति के हाथों से उगाए जाने, खड़े किए जाने, जुताई, चुनने, कटाई, संग्रहण या बीनने के परिणामस्वरूप उत्पादित होता है;

(zl) **"prohibition order"** means an order issued under section 33 of this Act;

"प्रतिषेध आदेश" से इस अधिनियम की धारा 33 के अधीन जारी किया गया आदेश अभिप्रेत है;

(zm) "risk", in relation to any article of food, means the probability of an adverse effect on the health of consumers of such food and the severity of that effect, consequential to a food hazard;

किसी खाद्य पदार्थ के संबंध में "जोखिम" से ऐसे खाद्य के उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर खाद्य परिसंकट के परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभाव्यता और उस प्रभाव की गंभीरता अभिप्रेत है;

(zn) "risk analysis", in relation to any article of food, means a process consisting of three components, i.e. risk assessment, risk management and risk communication;

किसी खाद्य पदार्थ के संबंध में "जोखिम विश्लेषण" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें तीन स्तर अर्थात् जोखिम निर्धारण, जोखिम प्रबन्ध और जोखिम संसूचना है;

(zo) "risk assessment" means a scientifically based process consisting of the following steps :

"जोखिम निर्धारण" से कोई वैज्ञानिक रूप से आधारित प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें निम्नलिखित कदम सम्मिलित हैं :

(i) hazard identification,/ परिसंकट की पहचान
(ii) hazard characterization / परिसंकट का लक्षण-वर्णन
(iii) exposure assessment, and / उच्छन्न निर्धारण, और
(iv) risk characterization / जोखिम का लक्षण-वर्णन

(zp) "**risk communication**" means the interactive exchange of information and opinions throughout the risk analysis process concerning risks, risk-related factors and risk perceptions, among risk assessors, risk managers, consumers, industry, the academic community and other interested parties, including the explanation of risk assessment findings and the basis of risk management decisions;

"जोखिम संसूचना" से जोखिम निर्धारकों, जोखिम प्रबन्धकों, उपभोक्ताओं, उद्योग, शैक्षणिक समुदाय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के बीच जोखिम, जोखिम संबंधी कारकों और जोखिम अवधारणाओं से संबंधित जोखिम विश्लेषण प्रक्रिया के दौरान सूचना और रायों का पारस्परिक विनिमय अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत जोखिम निर्धारण निष्कर्षों और जोखिम प्रबन्ध विनिश्चयों के आधार का स्पष्टीकरण भी है;

(zq) “risk management” means the process, distinct from risk assessment, of evaluating policy alternatives, in consultation with all interested parties considering risk assessment and other factors relevant for the protection of health of consumers and for the promotion of fair trade practices, and, if needed, selecting appropriate prevention and control options;

“जोखिम प्रबन्ध" से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए और उचित व्यापारिक व्यवहारों के संवर्धन के लिए, जोखिम निर्धारण और अन्य सुसंगत पहलुओं पर विचार करते हुए, सभी हितबद्ध पक्षकारों के परामर्श से मूल्यांकन जोखिम निर्धारण से भिन्न और यदि आवश्यक हो तो, उचित निवारण और नियंत्रण विकल्पों का चयन करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

LINKING LAWS

Linking Laws

(zr) "**sale**" with its grammatical variations and cognate expressions, means the sale of any article of food, whether for cash or on credit or by way of exchange and whether by wholesale or retail, for human consumption or use, or for analysis, and includes an agreement for sale, an offer for sale, the exposing for sale or having in possession for sale of any such article, and includes also an attempt to sell any such article;

अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "विक्रय" से मानव उपभोग या उपयोग के लिए या विश्लेषण के लिए किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय अभिप्रेत है, चाहे वह नकद हो या उधार पर हो या विनिमय के रूप में हो, और थोक में हो, या फुटकर में हो और किसी ऐसे पदार्थ के विक्रय के लिए करार करना या विक्रय के लिए प्रस्थापना करना या उसे विक्रय के लिए अभिदर्शित करना या विक्रय के लिए कब्जे में रखना इसके अन्तर्गत है और किसी ऐसे पदार्थ का विक्रय करने का प्रयत्न भी इसके अन्तर्गत आता है;

(zs) **"sample"** means a sample of any article of food taken under the provisions of this Act or any rules and regulations made thereunder;

"नमूने" से किसी खाद्य पदार्थ का नमूना अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों और विनियमों के उपबन्धों के अधीन लिया गया है;

(zt) **"specified by regulations"** means specified by regulations made by the Food Authority;

"विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट" से खाद्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है;

(zu) **"standard"**, in relation to any article of food, means the standards notified by the Food Authority;

किसी खाद्य पदार्थ के संबंध में, "मानक" से खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित मानक अभिप्रेत है;

(zv) **"State Government"** in relation to a Union territory means the Administrator of that Union territory appointed by the President under article 239 of the Constitution;

संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(zw) "**substance**" includes any natural or artificial substance or other matter, whether it is in a solid state or in liquid form or in the form of gas or vapour;

"पदार्थ" के अन्तर्गत कोई प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ या अन्य वस्तु अभिप्रेत है, चाहे वह ठोस अवस्था में हो या द्रव रूप या गैस या वाष्प रूप में;

(zx) "**Sub-standard**" an article of food shall be deemed to be sub-standard if it does not meet the specified standards but not so as to render the article of food unsafe;

"अवमानक से कोई खाद्य पदार्थ तब अवमानक समझा जाएगा यदि वह विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करता है किन्तु उससे खाद्य पदार्थ असुरक्षित नहीं होता है;

(zy) "Tribunal" means the Food Safety Appellate Tribunal established under section 70;
"अधिकरण" से धारा 70 के अधीन स्थापित खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(zz) "unsafe food" means an article of food whose nature, substance or quality is so affected as to render it injurious to health :—
"असुरक्षित खाद्य" से कोई ऐसा खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है जिसकी प्रकृति, पदार्थ या क्वालिटी इस प्रकार प्रभावित है जो इसे निम्नलिखित कारण से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना देती है,

(i) by the article itself, or its package thereof, which is composed, whetherwholly or in part, of poisonous or deleterious substance; or

स्वत: वस्तु या उसके पैकेज से, जो पूर्णत: या भागत: विषैले या हानिकारक पदार्थ से बना है; या

(ii) by the article consisting, wholly or in part, of any filthy, putrid, rotten,decomposed or diseased animal substance or vegetable substance; or

उस वस्तु से जो पूर्णत: या भागत: गंदे, दूषित, सड़े, गले या रुग्ण पशुजन्य पदार्थ या वनस्पतिजन्य पदार्थ से बनी है; या

(iii) by virtue of its unhygienic processing or the presence in that article of any harmful substance; or
उसके अस्वास्थ्यकर प्रसंस्करण के कारण या उस वस्तु में किसी हानिकारक पदार्थ की विद्यमानता से; या

(iv) by the substitution of any inferior or cheaper substance whether wholly or in part; or
किसी घटिया या सस्ते पदार्थ के अनुकल्प द्वारा चाहे वह पूर्णत: हो या भागत: ;

(v) by addition of a substance directly or as an ingredient which is not permitted; or
किसी पदार्थ को सीधे या किसी संघटक के रूप में, जो अनुज्ञेय नहीं है, मिलाकर; या

(vi) by the abstraction, wholly or in part, of any of its constituents; or

उसके किसी संघटक को पूर्णत: या भागत: निकालकर; या

(vii) by the article being so coloured, flavoured or coated, powdered or polished, as to damage or conceal the article or to make it appear better or of greater value than it really is; or

पदार्थ को इस प्रकार रंजित, सुरुचिकारक या विलेपित, चूर्णीकृत या पालिशीकृत करके जिससे पदार्थ को नुकसान होता हो या वह इस प्रकार छिपाया जाता है या उस पदार्थ को उससे बेहतर या अधिक मूल्य का प्रकट करना जैसा कि वह वास्तव में है; या

(viii) by the presence of any colouring matter or preservatives other than that specified in respect thereof; or

किसी रंजक पदार्थ या परिरक्षी को, उससे भिन्न जो उसकी बाबत विनिर्दिष्ट किया गया है, उसमें मिलाकर; या

(ix) by the article having been infected or infested with worms, weevils, or insects; or

उन पदार्थों से जो कृमियों, घुन या कीटों से विसंक्रमित या ग्रसित हैं; या

(x) by virtue of its being prepared, packed or kept under insanitary conditions; or

उनको तैयार किए जाने, पैक किए जाने या अस्वास्थकर दशाओं में रखे जाने से;

(xi) by virtue of its being mis-branded or sub-standard or food containing extraneous matter; or
उसके मिथ्या छाप वाली या अवमानक होने या खाद्य में बाह्य पदार्थ होने से; या

(xii) by virtue of containing pesticides and other contaminants in excess of quantities specified by regulations.
विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट मात्राओं से अधिक नाशक जीवमार और अन्य संदूषक अंतर्विष्ट होने के कारण।

(2) Any reference in this Act to a law which is not in force in the State of Jammu and Kashmir shall, in relation to that State, be construed as a reference to the corresponding Law, if any, in force in that State.

इस अधिनियम में ऐसी किसी विधि जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवर्तन में नहीं हैं, के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश है।

Special Offer!

Its now or never

24+4	(Buy a 24-month Plus Subscription and get 4-month extension free)*
18+3	(Buy a 18-month Plus Subscription and get 3-month extension free)*

Offer valid from September 20 - 22

Get subscription

Use Code **LINKING**

For more details, contact **8585858585**

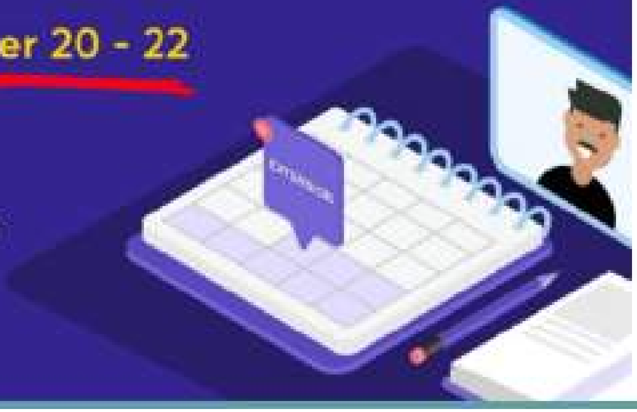

*T&C Apply, as available on the platform

WORRIED ABOUT YOUR
JUDICIARY PREPARATION?
CANNOT PLAN YOUR TIME?
We Are Here To Solve Your Problems!
unacademy
unacademy
unacademy
SUBSCRIBE
to our channel & click on the

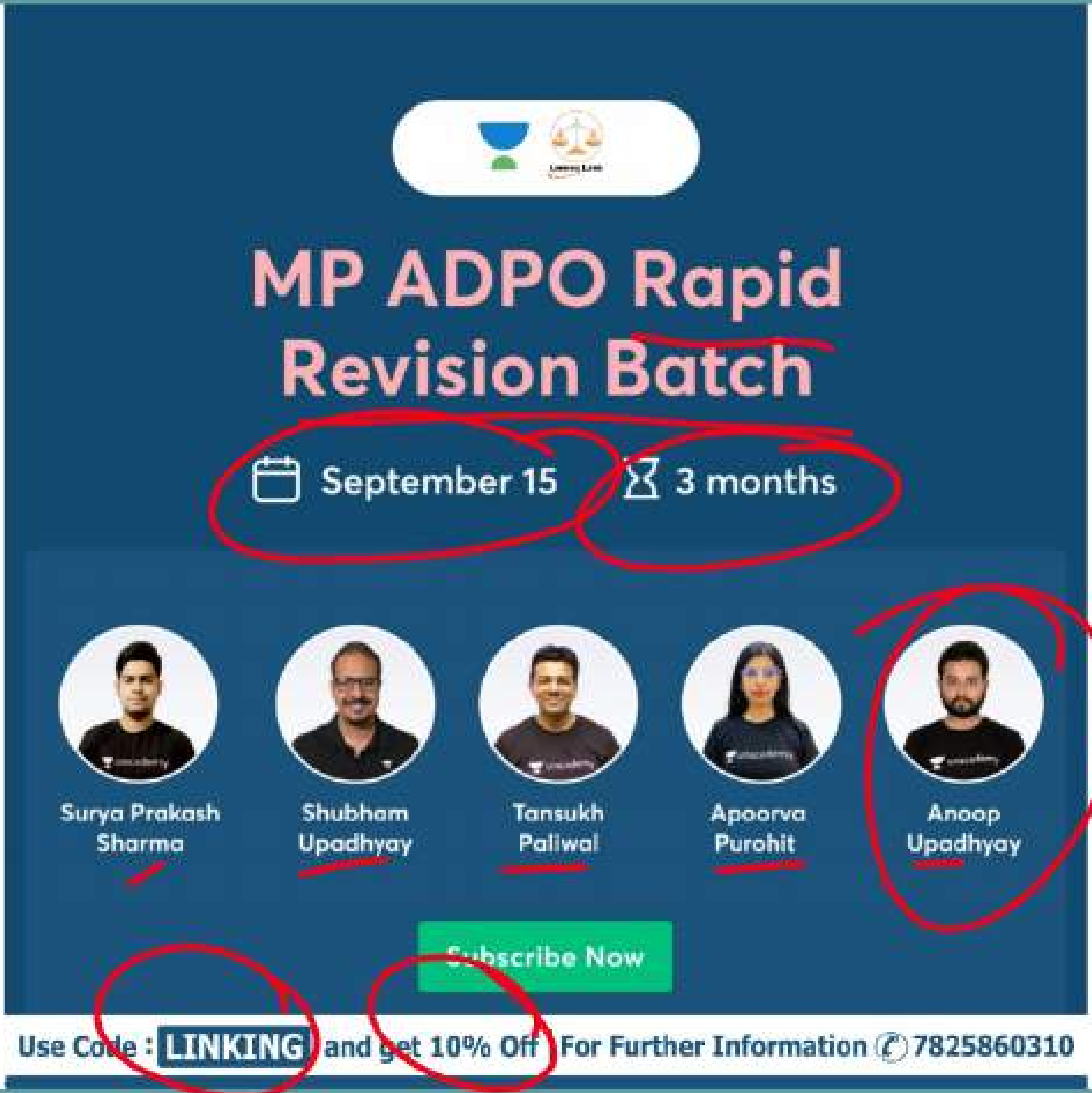
MP ADPO Rapid Revision Batch
September 15
3 months
Surya Prakash Sharma
Shubham Upadhyay
Tansukh Paliwal
Apoorva Purohit
Anoop Upadhyay
Subscribe Now
Use Code : LINKING and get 10% Off For Further Information 7825860310

Introducing Unacademy Lite
for Judiciary
Subscription Highlights:
• 50+ tests across 3 Test Series: Core Law Test Series, Prelims Mock Test Series, Topic-wise Test Series
• Practice Section: Practice topic-wise questions to strengthen your core
Prepare at the best price!
Get your subscription at ₹3,499 for 1 year*
Limited period offer!
Subscribe Now
Use Code
LINKING
*T&C apply, as available on the platform

Congratulations
Unacademy Learners
For Cracking the Rajasthan Judicial Services Exams
RANK 3
Mahaveer Saini
RANK 4
Trapti Jain
RANK 6
Rishi Gupta
RANK 17
Animesh Rajpurohit
RANK 21
Kiran Prajapati
RANK 26
Shivani Bansal
RANK 28
RANK 35
RANK 42
Harsh Vardhan
RANK 43
Ritika Agarwal
RANK 46
Lucky Soni
RANK 56
Devendra Puri
RANK 63
Kamal Bhati
RANK 75
RANK 78
RANK 97
Meenakshi Khatri
RANK 105
RANK 110
Seema Meena
RANK 112
RANK 119
Shivani Meena
*This list also includes mock interview participants.

unacademy
JUDICIARY ICONIC
Now •Live
Live Doubt Solving
Get personalized one-on-one doubt solving with exam experts
1:1 Live Mentorship
Get personalized expert guidance on exam-strategy and get help whenever you are stuck
Mains focused Test series
Mains answer writing practice tests with evaluation by the experts
All benefits of PLUS
Share written answers of Subjective and Full Length Test Practice for evaluation by subject matter experts

unacademy

SPECIAL CLASS FEATURES

Interactive Live Classes

Attend Live Class, participate in Live Chat and get your doubts cleared - all during the class.

Polls for Learners

Respond to polls for a better understanding of a topic.

Raise A Hand

Plus Subscribers can Talk with educators in Live Classes and get the doubts resolve in real time.

Never Miss a Class

Get notified for lessons, upcoming courses and recommendations curated for you.

Lecture Notes

Download lecture notes and get access to recorded sessions of Live Classes. Revisit important topics whenver you need.

Anytime/ Anywhere

Watch our Live Classes anytime from anywhere from any of your device.

Unacademy Subscription

Plus Subscription

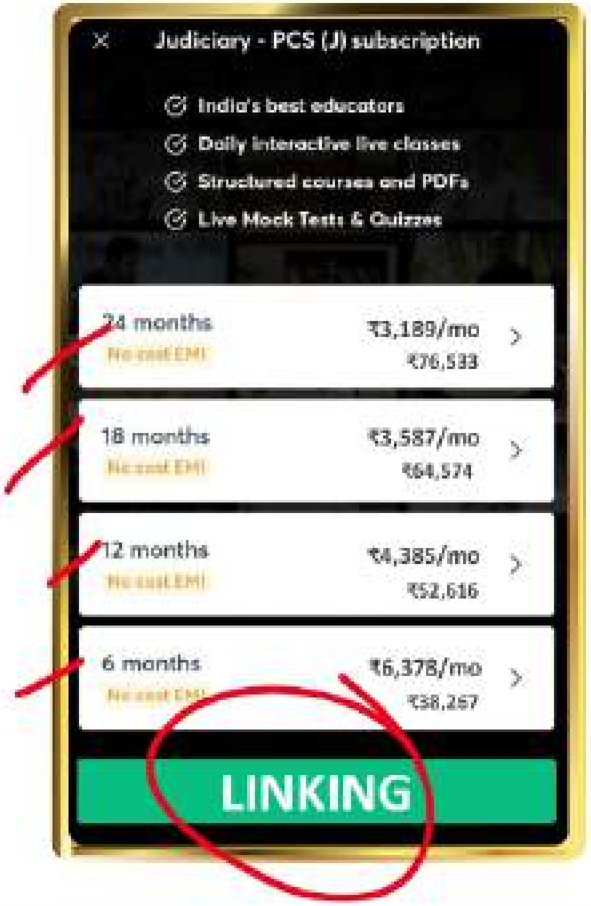

Iconic Subscription

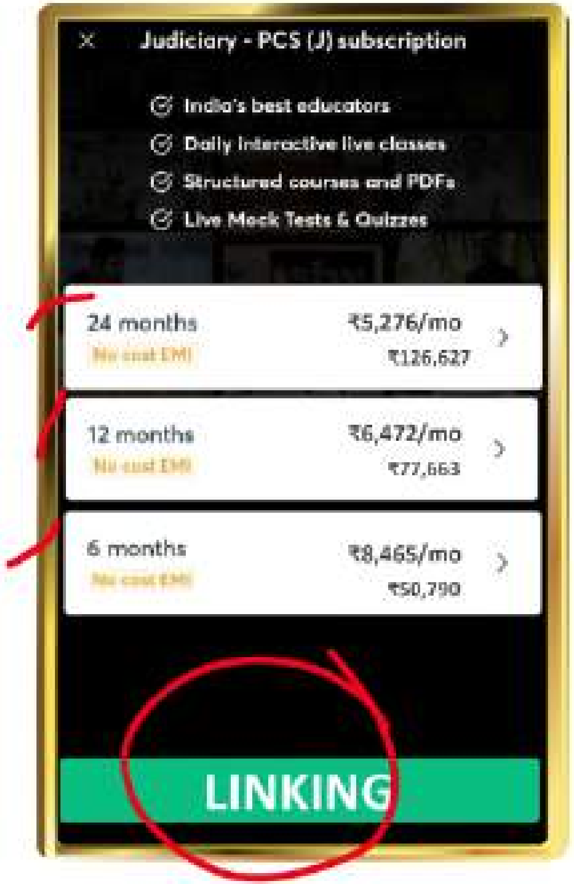

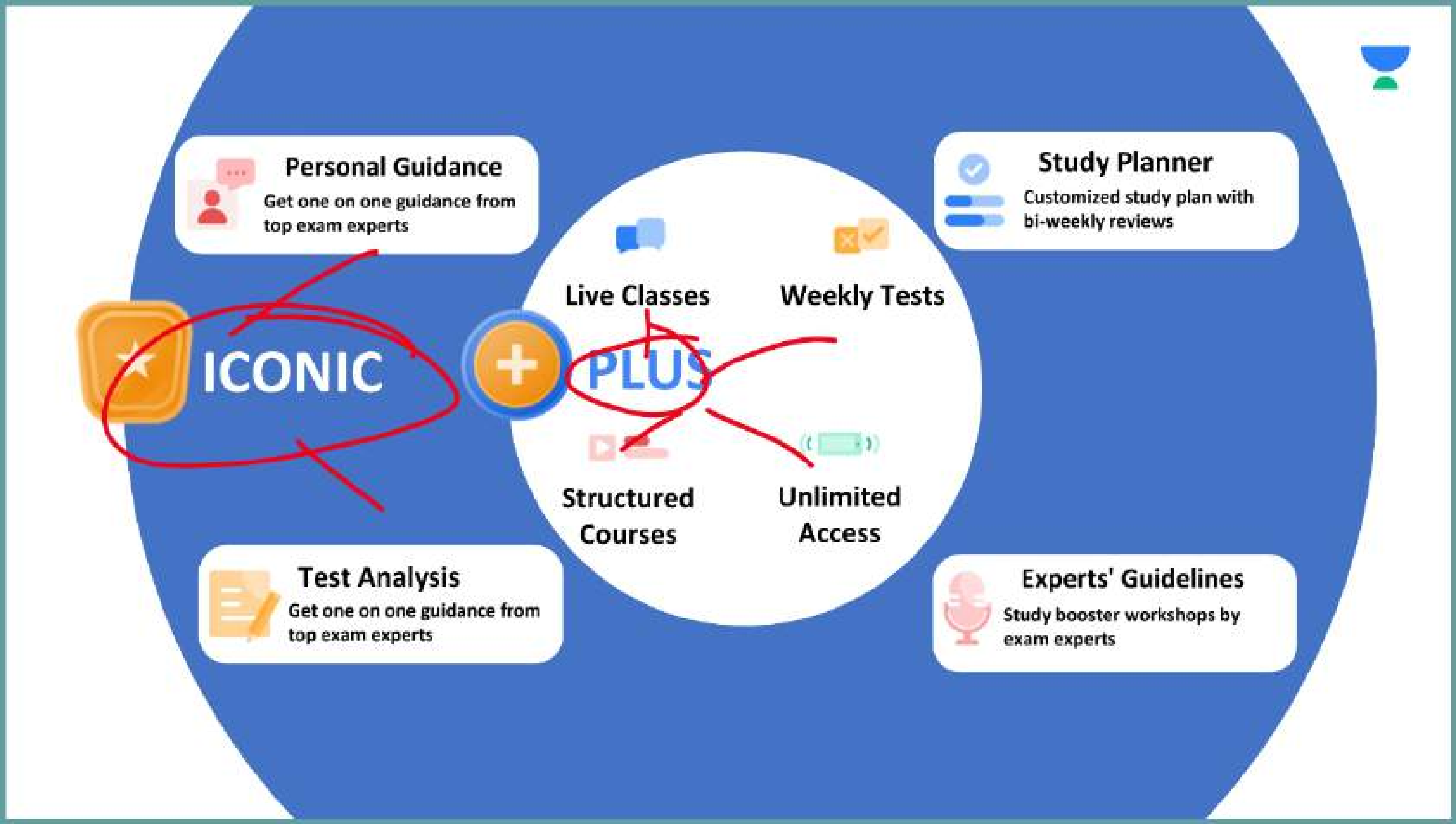

Personal Guidance
Get one on one guidance from top exam experts
Study Planner
Customized study plan with bi-weekly reviews
Live Classes
Weekly Tests
ICONIC
PLUS
Structured Courses
Unlimited Access
Test Analysis
Get one on one guidance from top exam experts
Experts' Guidelines
Study booster workshops by exam experts

BUGS BOUNTY

Opportunity for all Learners to report any inappropriate content in the video

Be the first one to report a particular issue to claim your prize

Report any inappropriate content using the form in the description

Thank you!
+ SUBSCRIBE
LIKE
& SHARE
PDF
Download Now !